UPFT010031022026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।

उपस्थित– डॉ० मोहम्मद इलियास (एच०जे०एस०)

जे०ओ० कोड UP06405

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1193 सन 2026

1. **मोहित यादव** उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र बलवन्त यादव
2. **दीपू यादव** उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र लवकुश यादव

निवासीगण ग्राम मूधनपुर थाना हुसेनगंज जिला फतेहपुर

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 207/2026
मुकदमा अपराध संख्या 38/2025
धारा 115(2), 352, 351(2)
भारतीय न्याय संहिता
व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना हुसेनगंज, जनपद फतेहपुर।

दिनांक 03.08.2026

मुकदमा अपराध संख्या 38/2025 धारा 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना हुसेनगंज, जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मोहित यादव व दीपू यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, प्रार्थी अपने बहनोई के ग्राम– मनसूरपुर के थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर के यहाँ श्रीमद भागवत कथा के निमंत्रण में सायः लगभग 8.40 बजे दिनांक 03/03/2025 को जा रहा था जैसे ही देवरी मोड के पास पहुचाँ तो एक मोटर साइकिल में तीन लोग बैठे थे तथा शराब का सेवन किये हुए थे। प्रार्थी ने उनको बचाते हुए गाडी से ही उन्हे कहा कि ठीक से गाडी चलाओ फिर तीनों भेडिये की तरफ प्रार्थी के ऊपर एकत्रित होकर मारने लगे

Digitally signed by MOHAMMAD ILIYAS
Date: 2026.08.03 17:32:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी ने किसी तरह से अपनी जान बचाया, जिसमें मारने वालों में मोहित यादव पुत्र बलवंत सिंह यादव व दीपू सिंह यादव पुत्र लवकुश थे तथा बाद में दो–तीन साथियों को फोन के द्वारा बुलाया और प्रार्थी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और सभी लोग शराब का सेवन किये थे। प्रार्थी के चोटें भी है वीडियो की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें जाति के लेकर गाली गलौज और (पसलेडा) जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। प्रार्थी के पिता उप० निरीक्षक जनपद झाँसी में कार्यरत है प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दिया।

<u>प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि,</u> प्रार्थीगण बेगुनाह है और महेज राजनैतिक पार्टीबंदी के कारण वादी द्वारा रंजिशन मुकदमा उपरोक्त मे दुराशय पूर्वक झूठा फंसा दिये गये है जिसमे पुलिस द्वारा दोषपूर्ण अन्वेषण करते हुये प्रार्थीगण के विरुद्ध पक्षपाती आरोप–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान् जी समक्ष यह प्रथम दरख्वास्त जमानत है। प्रार्थीगण की ओर से कोई भी दरख्वास्त जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे न तो दी गयी है न तो खारिज हुई है और न ही विचाराधीन है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी है और इस देरी का कोई भी स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नही दर्शाया गया है। सुबूत का किस्सा मनगढंत वाक्यात पर आधारित है। सुबूत के किस्से की ताईद डाक्टरी शहादत से नही होती है। प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई भी जुर्म धारा 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० एवं 3(1) (द) (ध), एस०सी०/एस०टी० एक्ट का नही बनता है। धारा 115(2), 352, 351 (2) बी०एन०एस० एवं 3(1) (द) (ध), 3(2) (Va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में अधिकतम सजा 7 वर्ष के अन्दर की ही है। गवाहान सुबूत मुद्दाई के मेली व मददगार है और उनकी शहादत मे किसी किस्म की तखरीब का कोई इमकान नहीं है। प्रार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक चरित्र नही है। प्रार्थीगण न तो कभी भागे रहे है और न ही उसके भागने का इमकान है। प्रार्थीगण जमानत पर छूटने के बाद जमानत का दुरुपयोग नही करेंगे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि, अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

<u>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।</u>

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है। इस दौरान उसके द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास दाखिल किया गया है परन्तु दोषसिद्धि के सम्बन्ध कोई प्रपत्र दाखिल नहीं हैं।

अतः इस स्तर पर मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य** (SLP Crl. No. 5191/2021) के मामले में दिये गये विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मोहित यादव व दीपू यादव** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र इन शर्तों के अधीन कि अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होंगे, अनावश्यक रुप से स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देंगे, साक्ष्यों व साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे तथा विचारण में पूरा सहयोग करेंगे, **स्वीकार** किया जाता है। तदनुसार प्रत्येक अभियुक्त द्वारा रू० 20,000/– का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में की गयी कोई भी टिप्पणी मामले के गुण–दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

दिनांक –03.08.2026

(डॉ० मोहम्मद इलियास)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।